लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 011/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/32)	दायर दिनांक 22-02-2024	निर्णय दिनांक 19-03-2024

अनवान

रियाज खान निवासी टाल एरिया, पानी की टंकी के पास निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 99281 86028)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 15.01.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./011/2024(सू.अ.)(13.03.2024)/74 दिनांक 23.02.2024 से अपील मेमों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 13.03.2024 अपील अपीलार्थी उपस्थित रहे एवं वांछित सूचना प्राप्त नही होना जाहिर कर लिखित प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

प्रस्तुत किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/रसद/सू.अ./2024/153 दिनांक 14.03.2024 से टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये हैं जो कि शामिल पत्रालवी होकर रिकार्ड पर हैं।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ से अवगत कराया गया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2024 से वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड पत्र के भिजवाई जा चुकी है। अतः अपील का निस्तारण किया जावें।

इसके साथ ही अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा अधीनस्थ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार हैं, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती हैं जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हमने अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2024 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन–पत्र दिनांक 15.01.2024 के बिन्दु संख्या 1 से लगायत 8 तक की सूचना अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिये पत्रांक/रसद/सू.अ./2024/151 दिनांक 14.03.2024 से भिजवाई जा चुकी है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रथम अपील का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है, किन्तु अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ से प्रेषित टिप्पणी एवं अनुलग्नकों के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रतिवेदित होता है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.01.2024 का निस्तारण अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया है, जो कि अनुचित है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्राप्त होने वाले आवेदनों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2024 से वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है, अतः न्याय हित में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि पत्रांक/रसद/सू.अ. /2024/151 दिनांक 14.03.2024 से प्रेषित सूचना की प्रति अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के पुनः प्रेषित की जावें।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 15.01.2024 जो कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को भिजवाया गया का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.03.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official